Reg 3498-II/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (128)

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–सागर

मेसर्स एस.जी. डिस्टलर्स, यू.एन.सी. रतलाम एल्कोहल एण्ड कार्बनडाई ऑक्साइट प्लांट रतलाम. (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–सागर
..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1139-I/2007 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.07.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(2) के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक कम्पनी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, वित्तीय वर्ष 2004–05 के अवधि के लिये आवेदक कम्पनी को शासकीय मद्य भाण्डागार सागर क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति दी गई थी। शासन की नीतियों के अनुसार मदिरा की बोतल एवं शोधित प्रासव का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य था। माह सितम्बर–अक्टूबर एवं नवम्बर 2004 में आवेदक कम्पनी द्वारा न्यूनतम संग्रह मद्य भाण्डागार सागर में नहीं रखा गया। इस आधार पर प्रदायकर्ता कम्पनी को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया, जिसका जबाव उनके द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर बताया कि मद्य भाण्डागार में पर्याप्त मात्रा में मदिरा का न्यूनतम संग्रह रखने की जगह उपलब्ध नहीं है, किन्तु मद्य भाण्डागार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे यह प्रयास किये गये। साथ ही साथ सम्पूर्ण अवधि में किसी भी प्रकार का प्रदाय असफल नहीं होने दिया गया। प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के प्रदाय ठेकेदारों को दुकानों के न्यूनतम संग्रह के अनुसार प्रदाय किया गया। इस अवधि में किसी भी प्रकार से देशी मदिरा लायसेंसी को मदिरा नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

2– यहकि, आवेदक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना–पत्र के आधार पर विधिवत् विचार किये बिना ही कलेक्टर, जिला–सागर द्वारा पारित आदेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 3498–दो/13 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1139–एक/07 में पारित आदेश दिनांक 16–7–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेष का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेष किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	